छात्राओं के प्रति हिंसाः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

(आगरा के विद्यालयों के विशेष सन्दर्भ में)

दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय)

दयालबाग, आगरा

पीएच.डी. (समाजशास्त्र) की उपाधि हेतु

रूपरेखा

2018–2019

पर्यवेक्षक

प्रो. बन्दना गौड़

विभाग– समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान

समाज विज्ञान संकाय

शोधार्थिनी

प्रीती

संकाय प्रमुख

प्रो. कमलजीत संधू

समाज विज्ञान संकाय

विभागाध्यक्ष

प्रो. पूर्णिमा जैन

विभाग–समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान

समाज विज्ञान संकाय

समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान

समाज विज्ञान संकाय

दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय)

दयालबाग, आगरा

परिचय

हिन्दुस्तान में जब भी महिलाओं की स्थिति की चर्चा होती है तब इतिहास और पुराणों के उदाहरणों द्वारा यह दर्शाने का प्रयास किया जाता है कि उन्हें इतिहास के प्रारम्भिक दौर में अत्यन्त सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वे न केवल समाज में निर्णायक भूमिका निभाती थीं, बल्कि कोई भी सामाजिक कार्य उनके बिना सम्भव नहीं हो सकता था। वैदिक काल में महिलाओं को उच्च शिक्षा व धार्मिक कर्मकाण्ड सम्बंधी सम्मानपूर्ण स्थिति प्राप्त थी, उत्तरवैदिक काल में स्थिति में कुछ परिवर्तन परिलक्षित हुए और महिला की भूमिका सामाजिक गतिविधि में निम्न देखी गई, मध्य काल में महिलाओं की स्थिति में तीव्रतम पतन हुआ। ब्रिटिश कालीन महिलाओं की स्थिति कमोवेश सुधारात्मक देखी गई।

वर्तमान समयानुसार 21वीं सदी की ओर अग्रसर होते हुए भी हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जो कि एक तरफ तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा विकास पर बल देता है जबकि दूसरी ओर महिलाओं के प्रति निरन्तर बढ़ते अपराध व हिंसा से सम्बंधित है।

दुनिया के समस्त देशों के श्रेष्ठ दार्शनिक ने भविष्य के जिन सुनहरे समाजों की कल्पना की उनमें हिंसा व अत्याचार के लिए कोई स्थान नहीं था परन्तु वर्तमान व्यावहारिक परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति को समझने के सम्बंध में कोई ऐतिहासिक उदाहरण अथवा कोई दार्शनिक कल्पना अर्थ नहीं रखती। आज की महिला विभिन्न बदलावों तथा तरक्की के बावजूद भी न शिक्षण संस्थाओं में, न व्यावसायिक जगहों पर, न सड़कों पर, न ही चिकित्सालयों में और न ही घर पर सुरक्षित है।

नारी ईश्वर का वरदान है उसकी महत्वता को किसी भी समाज में नकारा नहीं जाता क्योंकि उसका समाज के निर्माण में अमूल्य योगदान है। महिला के पास मुख्य गुण 'सेवा भाव' है। एक महिला माता, पत्नि, बहू तथा एक सलाहकार व सहायक के रूप में निरन्तर प्रयत्नशील देखी जा सकती है।

इन विभिन्न योग्यताओं के बावजूद भी समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ रहीं हिंसा व शोषण में कोई कमी नहीं देखी जा रही। 'स्वप्निल भारत' नामक गैर–सरकारी स्वैच्छिक संगठन में

60 प्रतिशत महिलाओं तथा 55 प्रतिशत छात्राओं ने स्वीकार किया कि कभी–न–कभी उन्हें कार्यस्थल पर अथवा स्कूल–कॉलेजों में यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है।

महिलाओं की स्थिति समयानुसार परिवर्तित होती ही दिखलाई पड़ती है। वैदिक युग से आरम्भ होकर वर्तमान आधुनिक युग तक चल रही भूमिकाऐं पूज्यनीय, गणिका, भोग्या तथा देवदासी आदि स्वरूपों में समझी जा सकती है। वैदिक युग के अतिरिक्त अन्य किसी युग में स्त्रियों की स्थिति अधिक संतोषजनक नहीं देखी गई। समयानुसार महिलाओं के प्रति बढ़ता हिंसात्मक व्यवहार अथवा वातावरण अमानवीयता का सूचक है अर्थात मनुष्य अपनी मानवीयता को त्यागकर अपने स्वार्थ अथवा झूठी शान हेतु विचलन उत्पन्न करने हेतु अग्रसर है। परिणामस्वरूप महिलाऐं कर्तव्यों को सर्वोपरि रखकर भी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक उपेक्षाओं का शिकार बनती रहती हैं। लैंगिक दुर्व्यव्हार द्वारा महिलाओं को बलात् प्रयोग, यौन सम्बंधों के लिए बाध्य किया जाता है जिसमें महिलायें मानसिक रूप से भी नकारात्मकतः प्रभावित होती है। भावनात्मक दुर्व्यवहार के रूप में महिलाओं को अनचाहे कार्यों को सम्पन्न करने हेतु दबाव दिया जाता है तथा नातेदारों अथवा मित्रों के समक्ष अपमानित कर उसके आत्मसम्मान व आत्मविश्वास पर कुठाराघात किया जाता है। सांस्कृतिक आयाम के अन्तर्गत कन्या जन्म को अभिशाप तथा पुत्र जन्म को वरदान समझा जाता है। परिणाम कन्या हत्या के रूप में सामान्यतः देखा जा सकता है। जो लड़कियाँ विवाह के पूर्व परिवार में संतोषजनक दिखलाई पड़ती हैं उनमें से भी अधिकांश विवाह पश्चात् प्रताड़नाओं व यातनाओं की भागीदार रूप में देखी जाती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण में महिलाओं को स्वयं की आवश्यकता पूर्ति हेतु निर्भर ही रहना होता है तथा घर से बाहर काम करने के लिए भी उसे अनुमति अनुसार ही प्रतिक्रिया देनी होती है। प्रजातीय परिप्रेक्ष्य के अन्तर्गत भी काले रंग की महिलाओं को गोरी महिला की अपेक्षा कम महत्वता दी जाती है तथा अन्यों से तुलना करके उसे हीन भावना से ग्रसित बनाया जाता है जिसके नकारात्मक परिणाम अन्य कार्यों के सम्बन्ध में दिखलाई पड़ते हैं। शैक्षिक स्तर सम्बन्धी भी अनेक पक्षपातों को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि वर्तमान में भी कम शिक्षित महिलाओं को किसी भी कार्य हेतु योग्य नहीं समझा जाता तथा उसे मात्र एक निम्न मानसिकता वाली सीमित गृहिणी की संज्ञा दे दी जाती है।

उपरोक्त विभिन्न प्रकार की हिंसाओं की रोकथाम सम्बन्धी विभिन्न कानून निर्मित किये गये परन्तु इनको अमलीजामा पहनाना अत्यन्त कठिन है क्योंकि इतिहास साक्षी है कि ऐसे कितने ही कानून अभी मात्र कागजी हैं। इसलिए महिलाओं को स्वयं हेतु स्वयं को ही आगे लाना है जिसमें औपचारिक तथा अनौपचारिक रक्षा विधियों की भूमिका सराहनीय है।

स्वयं के प्रति इस नकारात्मक वातावरण से मुक्ति पाने हेतु महिलाओं को स्वयं सक्रिय भूमिका निभानी होगी तथा किसी भी प्रकार की हिंसा अथवा शोषण जैसे घरेलू हिंसा, यौन हिंसा, अपहरण आदि का डटकर मुकाबला करना होगा।

हिंसा–

हिंसा एक ऐसा निन्दनीय और नकारात्मक व्यवहार है जो कि विचलित व्यवहार की ओर ध्यान आकर्षित करता है। अर्थात मन, वचन तथा कर्म से किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रियान्वित अनुचित व्यवहार अथवा कार्य हिंसा की श्रेणी में आता है। हिंसा एक गैर–कानूनी अपराध है जिसमें मनुष्य प्रचलित कानूनों की अवहेलना करते हुए इसे सम्पन्न करता है।

स्वयं रक्षा हेतु व्यक्ति/महिला द्वारा विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है जिनको मुख्य दो भागों में विभाजित किया जाता है –

औपचारिक विधि–

ताइक्वान्डो में हाथों तथा पैर के पंजों का प्रयोग सिखाया जाता है। हाथों की मुट्ठी बनाकर हमलावर की ठुड्डी के नीचे प्रहार किये जाने से गहरी चोट पहुँचती है। इसके अतिरिक्त महिलायें दोनों हाथों से सामने वाले के संवेदनशील भागों जैसे, आँख, कान तथा नाक पर प्रहार कर अपना बचाव कर सकती हैं।

मुक्केबाजी द्वारा समय तथा परिस्थिति के मध्य सन्तुलन बनाने सम्बंधी शिक्षा दी जाती है जिससे महिलायें सही समय पर हाथों व पैरों से प्रहार करके स्वयं का बचाव कर लाभान्वित होती हैं।

ऐकीडो के माध्यम से महिलायें आक्रमणकर्ता की गर्दन पर अपनी कुहनी द्वारा आघात पहुँचाती हैं जिससे वह कुछ समय के लिए मूर्छित हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुहनी, घुटने के

प्रयोग द्वारा छाती के नीचे तथा पेट के ऊपर वाले हिस्से पर प्रहार करना भी लाभदायक होता है। आक्रमणकर्ता का सिर नीचे झुकाकर उसके चेहरे पर घुटने से प्रहार करना भी सरल होता है। इस तरह महिलायें व्यावहारिकतम रूप में इसका प्रयोग कर सकती हैं।

मुई थाई के द्वारा घुटना, मुट्ठी तथा कुहनी आदि सभी भागों का हथियार स्वरूप क्रमानुसार लगातार प्रयोग करना सिखाया जाता है, जिससे आक्रमणकर्ता को न्यूनतम तथा महिला को अधिकतम प्रहार के अवसर प्राप्त होते हैं व महिलायें स्वयं का बचाव सीखती हैं।

जूड़ों के माध्यम से महिलाओं के सामने वाले के भार को उठाने का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे महिला उसे उठाकर जमीन पर गिराने में सफल होती है और स्वयं को सुरक्षित करती है।

इन विभिन्न प्रकार की कलाओं अथवा तकनीकों को सीखने हेतु महिलाओं को अपने उचित खान पान सम्बंधी आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना होता है। प्रशिक्षकों द्वारा प्राप्त सलाह तथा आदेश का अनुपालन ही किसी भी महिला को शारीरिक व मानसिक मजबूती प्रदान करता है। शारीरिक तथा मानसिक सशक्तता होने पर किसी भी तकनीकी को सरलता से क्रियान्वित किया जा सकता है। इस तकनीकी प्रयोग के द्वारा सर्वप्रमुख महिलाओं में आत्म गौरव की वृद्धि पायी जाती है।

अनौपचारिक विधि–

यह वह विधि है जिसकी जानकारी महिलाओं को स्वयं सुरक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक है जैसे– पारिवारिक स्वजनों की सकारात्मक मानसिकता के आधार पर महिलाओं को उचित वातावरण उपलबध कराने का उत्तरदायित्व संभालने से भी खोज परिणाम सकारात्मक हो सकते हैं। अन्य समाधान स्वरूप महिलाओं को रास्ते में हैडफोन निकालकर चलना, आस–पास के वातावरण की ओर नया नजरिया रखना, आत्मबल तथा लड़े या भागे विधि प्रमुख विशेषतायें हैं। वैकल्पिक समाधान के रूप में घर से बाहर जाते समय पर्स अथवा बैग में चाकू, मिर्ची स्प्रे तथा अन्य छोटे उपकरणों को रखने से सहायता मिलती है।

इन परिस्थितियों के समाधान स्वरूप आत्म सुरक्षा की चेतना अत्यन्त लाभकारी हो रही है। आत्म सुरक्षा संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं। आत्म सुरक्षा एक ऐसा सकारात्मक बलपूर्वक प्रयास है जो कि स्वयं पर हो रहे प्रहार से स्वयं की रक्षा करने में सहायक होता है क्योंकि इस प्रशिक्षण के अन्तर्गत महिलाओं को शारीरिक तथा मानसिक क्रियाविधियों का ज्ञान कराया जाता है जिससे कि वे किसी भी नकारात्मक वातावरण में स्वयं की रक्षा हेतु सक्षम बन सकें।

समस्या कथन

आज की वास्तुकार स्त्री के प्रति हिंसा की निरन्तर बढ़ती घटनाओं के कारण देश का प्रत्येक जागरूक व संवेदनशील व्यक्ति दुखी और चिन्तित है। बलात्कार, लैंगिक उत्पीड़न विशेषतः सार्वजनिक एवं कार्यरत स्थल पर वृद्धि कर रहा है। परिवार की रीढ़ होते हुए भी महिला कुछ नहीं होती उसका स्वयं का अस्तित्व विवादास्पद रहता है। वह जितनी ही सक्षम व समझदार क्यों न हो फिर भी महिला होने के नाते वह सबकी उपेक्षा की शिकार होती है। आधुनिक समय में महिलायें शिक्षित होते हुए भी आत्मबल एवं स्वयं हेतु उचित निर्णय लेने में भी असमर्थ देखी जा सकती है।

सामान्यतः महिलाओं में भावनात्मक संवेदनशीलता की व्यावहारिकता स्वरूप यह पहचाना गया है कि इन्हें अन्य सभी व्यक्तियों की अत्यधिक परवाह रहती है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए महिला स्वयं के शारीरिक अथवा मानसिक विकास पर कोई विशेष ध्यान केन्द्रित नहीं करती। सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाये रखने हेतु स्वयं के आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान के साथ निरन्तर समझौता करती है जो कि स्वयं हेतु भविष्य में नकारात्मक वातावरण का आधार बनता जाता है।

इस नकारात्मक वर्तमान तथा भविष्य को सकारात्मकता की ओर बदलने हेतु आत्मचेतना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आत्मचेतना के कारण विश्वास करना, मूल्यांकन करना, सीखना, जानना आदि अनेक व्यावहारिक क्रियायें वृद्धि करती हैं। इन क्रियाओं को जानना 'द्वितीय क्रम' की पहचान है परन्तु इसका शारीरिक हिंसा तथा मानसिक शोषण औजारों के माध्यम से महिला की अस्मिता और मानवीय गरिमा के साथ मनचाहा खिलवाड़ किया जा रहा है।

महिलाओं के प्रति वृद्धि कर रही समस्याओं की जटिलता को देखते हुए पूर्णरूपेण उन्मूलन सम्भव नहीं है। उपरोक्त समस्याओं के कारण शोधार्थिनी ने इस विषय पर गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करने का प्रयत्न किया है।

समस्या का महत्व

सृष्टि के सफल संचालन हेतु स्त्री एक सबसे प्रमुख तत्व है, यह पुरूष की जननी, पालक व माता के गौरवमयी पद पर आसीन होने के बावजूद दुनिया के किसी भी देश में पूर्णरूपेण सुरक्षित व स्वतंत्र नहीं रही। भारत में नारी जीवन का सामाजिक इतिहास उत्थान एवं पतन का इतिहास रहा है। एक काल ने उसे सुख समृद्धि तथा सौभाग्य का सूचक माना तो दूसरे काल ने उसे भोग्या अथवा त्याज्या के रूप में स्थापित किया।

महिलाओं का व्यवहार अपेक्षाकृत कोमल होता है। ये अधिक प्रतिरोधात्मक नहीं होती अर्थात् संवेदनशीलता को आत्मसात किये हुए होती हैं। इन्हीं गुणों के कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न तथा हिंसा का सामना करना पड़ता है। कहीं इन्हें यौन उत्पीड़न तो कहीं बलात्कार के रूप में मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनना पड़ता है। वैवाहिक उत्पीड़न का शिकार बनना पड़ता है। इसके अतिरिक्त वैवाहिक हिंसा स्वरूप महिलाओं को अपने ही घरों में पिटते हुए जीवन व्यतीत करना पड़ता है।

हमारे देश में आजादी के पश्चात् महिलाओं ने रोजगार के अवसर पाये साथ ही समाज में महिलाओं के योगदान और उनके महत्व को भी पूर्व की अपेक्षा अधिक समझा जा रहा है। फिर भी सवाल वहीं का वहीं है कि क्या मानव सभ्यता के व्यापक विकास के बावजूद महिलाओं की स्थिति में भी कोई व्यापक सुधार हुआ है या परिवर्तन आया है?

यदि महिला पर किसी प्रकार का हमला किया जाता है अथवा कोई दुर्व्यवहार किया जाता है तो लोगों द्वारा महिला को ही दोषी ठहराया जाता है। इसलिए आत्मरक्षा आपको अपना बचाव करने की तकनीक सिखलाता है जिसमें युद्ध नीतियाँ (मार्शल आर्ट) तथा मानसिक तैयारी का प्रशिक्षण भी उपलब्ध है।

साहित्य का पुर्नावलोकन

- हैडन तथा अन्य (1999) द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि यौन उत्पीड़न निश्चित रूप में एक जटिल परिस्थिति है जोकि सुलझाने में अत्यन्त कठिन है। फिर भी विभिन्न प्रकार के आत्मरक्षा प्रशिक्षण भिन्न–भिन्न स्थानों पर संचालित है जोकि इस परिस्थिति के समाधान हेतु एक उपयुक्त पहल समझी जा सकती है। नकारात्मक सन्निकटता अथवा समीपता सम्बंधी महत्वपूर्ण रोकथाम के रूप में सशक्त मौखिक प्रतिरोध, शारीरिक प्रतिरोध तथा दौड़ने को प्राथमिकता दी गई। वह महिलायें जिन्होंने जवाबी हमला किया उन्होंने आत्मविश्वास का अनुभव किया तथा हमले से बचने के 55–86 प्रतिशत अवसरों को समझा और उनका लाभ भी लिया। इस अध्ययन में प्रशिक्षकों की भूमिका को अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि ये ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यावहारिकता को एक सकारात्मक संदेश स्वरूप प्रसारित करते हैं।
- गिड्स तथा अन्य (2002) ने दो विश्वविद्यालय की 762 महिलाओं का वर्णन बेतरतीब नमूना प्रणाली से किया। ओहियो विश्वविद्यालय के कार्यक्रम 'यौन हिंसा जोखिम न्यूनीकरण' द्वारा महिलाओं के उत्साह तथा ज्ञान को और अग्रसर किया जो कि प्रतिरोध रणनीतियों को सकारात्मक तथा व्यावहारिक सूचनाओं सम्बंधी है। इनका उद्देश्य था ऐसे विचार अथवा चिन्तन को विकसित करना जिसमें जोखिम सम्बंधी समस्याओं को समाप्त किया जा सके। लेकिन इस उद्देश्य प्राप्ति में ये पूर्णरूपेण सफल नहीं रहे फिर भी इस लक्ष्य को पूर्ण करने में यह अध्ययन एक मार्गदर्शक के रूप में महत्वता रखता है।
- सेठ तथा कैली (2003) ने अपनी पुस्तक 'अचीवमेन्ट्स अगेन्स्ट द ग्रेनः सैल्फ डिफैन्स कॉर वूमेन एण्ड गर्ल्स इन यूरोप' में प्रदर्शित किया कि महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा की कहानी सन् 1990 से ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निरन्तरता लिए हुए है। ये सभी परिवर्तनकारी क्रियाविधियाँ महिलाओं के अधिकार तथा समानता से सम्बंधित हैं। यह सब एक सर्वे से लिया गया है जिसमें 155 आत्म रक्षा अध्यापक, सरकारी संगठन तथा देश

की रिपोर्ट शामिल है। इसमें गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों ही पद्धतियों को प्रयोग में लाया गया। इसका उद्देश्य वर्तमान सांस्कृतिक तथा संरचनात्मक बाधाओं की खोज करना है। सर्वप्रमुख खोज के रूप में इसमें नीति निर्माताओं का नकारात्मक दृष्टिकोण सबसे बड़ी बाधा रही है।

- ग्रेटन (2003) ने विश्लेषण किया कि यौन शोषण की रोकथाम सम्बंधी शैक्षिक रणनीतियों के द्वारा उच्च विद्यालय की छात्राओं हेतु सशक्त बनने की जानकारी आवश्यक है। कुछ समकालीन अध्ययन दर्शाते हैं कि लड़कियों का 25–30 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत विद्यालयी महिलायें यौन हिंसा से पीड़ित रहीं। ऐसे हिंसा निवारण कार्यक्रमों का उद्देश्य चेतनता, जवाबदेही तथा जाग्रत होना जैसे होते हैं। यह अध्ययन यौन उत्पीड़न रोकथाम कार्यक्रम को शहरी स्कूलों में सरलतम रूप में लागू करने के लिए शिक्षणों को विशेष निर्देश प्रदान करता है।
- हालैण्डर (2004) ने अपने शोध 'नेशनल कोलशन अगेन्स्ट सैक्सुअल असॉल्ट' में बाहर रखे आत्म सुरक्षा कक्षाओं के प्रभावों का अध्ययन किया। ये कक्षा में पश्चिमी संयुक्त राज्य में प्रमुख राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई। इन कक्षाओं में नामांकित महिलाओं को दो वर्गों में कक्षायें दी जाती हैं जिसमें खुले तथा बन्द दोनों प्रकार के प्रश्न और आत्म सम्मान तथा आत्मरक्षा के संशोधित संस्करण मानकों को भी शामिल किया। 36 भागीदारों में से 29 द्वारा बताया गया कि इन कक्षाओं के माध्यम से उनमें आत्मविश्वास जाग्रत हुआ तथा ये आवश्यक सामग्री सफल आत्मरक्षा हेतु महत्वपूर्ण है।
- सैंगरों (2006) अपने अध्ययन में 'निजी रक्षा' की भाँति आत्म रक्षात्मक चित्र स्वरूप प्रधान आधार के रूप में स्पष्ट किया। किसी भी हमले का, जो कि घायल व्यक्ति पर हुआ जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व तथा अधिकार इस निजी रक्षा कार्यक्रम पर ही है। यह नवीन अवधारणा जो एक सक्रिय कार्य से सम्बद्ध किया गया जो हमारे अमूल्य जीवन को सुचारू बनाये रखने में सहायक सिद्ध हो रहा है। यह अवधारणा अत्यन्त व्यापकता लिए हुए है

जिसमें आत्म–सम्मान व स्वराज्य की भावना समाहित है। ऐसी सकारात्मक विशेषतायें, हो रहे हमलों के विरूद्ध विशेष प्रयास है।

- एम. थिरूनाथू कारासू (2009) अपनी पुस्तक 'सामाजिक, अर्थिक विकास और गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका' के द्वारा विकास में गैर–सरकारी संगठनों की महत्वता तथा प्रासंगिकता पर बल दिया। एन.जी. ओज मुख्य रूप से स्वैच्छिक तथा विकास उन्मुखता के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा जरूरतों की सहायता की जाती है। अध्ययन में उद्देश्य, अपराधों की किस प्रकृति में वृद्धि हो रही है, महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने की प्रविधियाँ आदि। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के साथ द्वितीय आँकड़े उपयोग किये गये। परिणति के रूप में, गैर–विवाहित लड़कियों के साथ अधिकतम अपराध, आत्मविश्वास में कमी के कारण अपराधों में वृद्धि तथा अधिकतम अपराधी युवा वर्ग सम्बंधी पाये गये।
- श्रीमती मंजू शर्मा (2009) ने अपने अध्ययन में भारतीय समाज में व्याप्त महिलाओं के विभिन्न पारिवारिक उत्पीड़न तथा हिंसा सम्बंधी समस्याओं की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। महिलाओं के अधिकारों की चेतना अथवा व्यावहारिकता पर भी बल दिया अर्थात् सदियों से शोषित, पीड़ित स्त्री को संवैधानिक रूप से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार आदि तमाम कानूनों के होते हुए क्यों आज की स्त्री अमानवीय व्यवहार, छेड़खानी तथा उत्पीड़न जैसी घटनाओं का शिकार हो रही हैं जबकि राष्ट्रीय महिला योजना जैसे विभिन्न आयोग का उद्देश्य महिला के विकास से सम्बंधित है। समाज ने स्त्री हेतु विभिन्न जीवनद्रोही परिस्थितियाँ विकसित की परन्तु चेतना के माध्यम से स्त्री को अपनी क्षमता एवं सन्तुलन शक्ति सम्बंधी वरदान को पहचानना है।
- बर्न (2009) द्वारा 378 महिलाओं तथा 210 पुरूषों का अध्ययन किया जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के पूर्वस्नातक हैं। इन्होंने अपने 'स्थितिजन्य मॉडल' के आधार पर समझाने का प्रयास किया है कि सर्वप्रथम अपने आस–पास के लोगों को पहचाना जाये स्वयं लोगों द्वारा तत्पश्चात् हस्तक्षेप की आवश्यकता के विचार पर बल, तब उत्तरदायित्व उठाना।

अन्त में मदद हेतु क्रिया पर बल दिया। इस खोजपूर्ण शोध के द्वारा इन पाँच विचारों को विशेष महत्व दिया गया क्योंकि इनके अभाव में अपराध वृद्धि करते हैं जबकि इनकी जानकारी होने पर अपराधों में कमी आती है।

- हालैण्डर (2010) द्वारा अपने आर्टिकल में बताया कि 'महिलायें आत्म रक्षा कक्षाओं में क्यों शामिल होती हैं?' यह परियोजना पूर्व में दोहराये गये सर्वेक्षणों को सम्मिलित करती है जोकि नारीवादी आत्मसुरक्षा कक्षाओं के छः वर्गों में नामांकित महिलाओं द्वारा पूरे किये गये। ये कक्षायें संयुक्त राज्य के प्रशान्त उत्तर पश्चिम में प्रमुख राज्य विश्वविद्यालय में तथा इसी के समान नामांकन अन्य कक्षाओं में इसी विश्वविद्यालय के द्वारा प्रस्तुत की गई। इस सर्वेक्षण के जाँच परिणाम स्वरूप महिलाओं ने इन कक्षाओं में शामिल होने के कारणों को बताया कि उन्होंने इन कक्षाओं के बारे में लोगों से सुना था, उनका स्वयं का दृष्टिकोण तथा हिंसा के कारण। इस प्रकार भागीदारों के भिन्न–भिन्न मतों को समझा गया।

- कूकर तथा अन्य (2011) ने अपने 'ग्रीन डॉट इन्टरवेशन प्रोग्राम' के द्वारा दर्शकों के हस्तक्षेप की भूमिका की जाँच की जोकि अपने आस–पास के व्यावहारिक ज्ञान सम्बंधी है। इस कार्यक्रम का निर्माण डॉ. डॉरोमी एडवार्ड द्वारा किया गया जिसमें यू.के. रजिस्ट्रार की सूची से 2000 शिक्षार्थियों हेतु बेतरतीब नमूने का प्रयोग किया गया। उद्देश्य के रूप में महिलाओं के प्रति हिंसा में सहायक वातावरण को परिवर्तित करना है। दर्शकों को मात्र तमाशाई बनकर नहीं रहना चाहिए बल्कि हिंसा के प्रति हस्तक्षेप करना चाहिए जिससे अनुपयोगी विचारों को समाप्त किया जा सके।

- मैटेसी तथा अन्य (2012) अपने अध्ययन में ऐसी सामाजिक बुद्धिमत्ता सम्बंधी सकारात्मक प्रभाव को स्पष्ट करते हैं जोकि बहुदिशीय है। इसमें आत्म की संकल्पना समाहित है। 786 शिक्षार्थियों ने इसमें भागीदारी की जोकि उच्च विद्यालय के लगभग 17 वर्षीय से अधिक के थे। अध्ययन का उद्देश्य भयावह कार्य अवधि में अपने आत्म सम्मान की रक्षा सम्बंधी सक्रिय और पूर्वव्यापी बचावों के क्रियान्वयन का निरीक्षण करना। इस प्रकार

विपरीत लोगों का व्यवहार पहचानने हेतु सामाजिक बुद्धिमत्ता है। अन्ततः ये स्वयं विनियमन सीखने की महत्वता की सलाह देते हैं।

- अब्दुल वाहिद खान (2012) ने अपने अध्ययन में यह दर्शाया कि भारत में महिलाओं सम्बंधी दुर्घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिसका कारण इन्होंने महिला का सामाजीकरण, आत्मविश्वास का अभाव, अंधविश्वास की भावना आदि को बताया। इन्होंने नकारात्मक वातावरण का सामना करने हेतु आत्मसुरक्षा तकनीकों को महत्वपूर्ण बतलाया। जैसे– कराटे, क्रव छड़ी, गुलाबी गैन्ग तथा स्माइल फाउन्डेशन की भी चर्चा की। इसके साथ–साथ महिलाओं पर घर में प्रहार होने पर चाकू या और भी कोई मजबूत वस्तुओं के प्रयोग की उपयोगिता पर बल दिया। जहाँ आत्मरक्षा प्रशिक्षण की अनुपलबधता है वहाँ महिलाओं को इन्टरनेट, टी.वी. तथा मैग्जीन आदि के माध्यम से हमेशा प्रत्येक स्थिति में सचेत रहना चाहिए। उपरोक्त रक्षात्मक उपाय महिलाओं को अनुकूल वातावरण होने का अनुभव प्रदान करने में सहायक होंगे।
- सेन तथा अन्य (2013) ने बेतरतीब नियंत्रित परीक्षण कियाजोकि कैनेडियन तथा अमेरिकी विश्वविद्यालय के कैम्पस सम्बंधी है। यह एक 'यौन हिंसा प्रतिरोध शिक्षा कार्यक्रम' का मूल्यांकन है जोकि विश्वविद्यालय सम्बंधी युवा महिलाओं में यौन हिंसा की कमी स्वरूप रूपांकित किया गया। यौन हिंसा प्रतिरोध प्रक्रिया के लिए कौशलयुक्त परिवर्तनों को इसमें समाहित किया गया। यौन हिंसा में न्यूनीकरण स्वरूपी यह सभी महिलाओं हेतु प्रत्यक्ष प्रभाव होगा जो मानसिक तथा शारीरिक दोनों दबावों हेतु सकारात्मक होगा।
- सिंक्लेयर तथा अन्य (2013) अपने अध्ययन द्वारा 522 उच्च विद्यालय की बालिकाओं का जनसंख्या आधारित सर्वेक्षण किया। अध्यययन का विषय 'नो मीन्स नो वर्ल्डवाइड' जोकि आत्मरक्षा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के कुछ प्रमुख तत्वों की विवेचना की, आत्मा, मन, दृष्टि, ध्वनि तथा शरीर पाँच प्राथमिक उपकरणों का बालिकायें अध्ययन करती हैं। हिंसा की उच्च आवृत्ति के साथ क्षेत्र में विशाल नमूना पैमाना प्रयोग किया जिससे हम सरलता से 10 माह के अभ्यास द्वारा हुये जाँच प्रभाव को जान सकते हैं।

- हॉलैण्डर (2014) द्वारा आत्म रक्षा कार्यक्रम में परिणति के स्वरूपों पर बल दिया। अध्ययन में 117 शिक्षार्थियों को नामांकित किया गया। 18–53 आयु वर्ग के प्रतिभागियों का इन कक्षाओं में विस्तार देखा गया। इनका अध्ययन कोई संक्षिप्त कार्यशाला न होकर 30 घण्टे की आत्मरक्षा कोर्स (अवधि) का प्रभाव का अध्ययन है। जिन महिलाओं ने इस प्रशिक्षण की सदस्यता ली उनमें यौन हिंसा का भय कम पाया गया और इसके साथ ही उनके कौशल, क्षमता और पराक्रम में वृद्धि हुई जिससे वे प्रभावपूर्ण रूप में हमले पर काबू पाने में सक्षम रही।
- थॉम्पसन (2014) एक ऐसे दृष्टिकोण को विकसित करने पर ध्यान देती हैं जोकि आत्मरक्षा को समझाने हेतु विश्वसनीय तथा सशक्तता सम्बंधी गुणों से भरपूर हो। अध्ययन में 29 आत्मरक्षा प्रशिक्षण हैं जोकि 'इम्पैक्ट'(आईएम.पी.ए.सी.टी) अन्तर्राष्ट्रीय पहल तथा 'नेशनल वूमेन्स मार्शल आर्ट फेडरेशन' से जुड़े हुए हैं। सशक्तीकरण हेतु आत्मरक्षा अवधि अपराध के उचित तथ्यों को स्वीकारने पर बल देती है। उपरोक्त दोनों संगठन हिंसा की सामाजिक जड़ों पर जोर देते हैं। यह प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करता है, महिलाओं और लड़कियों को स्वयं के शारीरिक ज्ञान तथा वर्तमान में हो रहे परिवर्तन में स्वयं का प्रतिनिधित्व उचित रूप में करने सम्बंधी।
- टार्क एवं क्लार्क (2014) ने पूर्व शोधों की सीमाओं तथा उनकी प्रासंगिक प्रणाली पर ध्यान केन्द्रित किया। इस अध्ययन हेतु डाटा संग्रहण संयुक्त राज्य के जनगणना विभाग द्वारा संचालित साक्षात्कारों से प्राप्त किया गया। इस विभाग का सम्बंध 'राष्ट्रीय अपराध प्रताड़ित सर्वेक्षण' से है जो संयुक्त राज्य में 1992–2002 तक हुए अपराध अवसरों को सम्मिलित करता है। यहाँ एक लम्बी प्रश्नों की शृंखला है जोकि अपराधी द्वारा आक्रमण किये जाने से सम्बंधित है। संभावित नमूने द्वारा जाँच परिणाम अपराधों के परिणामों द्वारा पुराने शोधों की प्रासंगिकता ढूंढकर 16 विशिष्ट बचाव क्रियाओं को बताया। इसके अतिरिक्त बलात्कार के बाद मानसिक स्थिति तथा अन्य घावों सम्बंधी आत्म सुरक्षा क्रियाओं के प्रभाव को दर्शाया।

- बरन्ट तथा अन्य (2015) अपने अध्ययन में विद्यालय तथा कैम्पस में निरन्तर बढ़ रही रही यौन हिंसा की ओर इशारा किया। इस प्रकार के संस्थान इस अध्ययन हेतु सहयोग भी दे रहे हैं। इस आर्टिकल में सुझाया गया है कि जोखिम कारणों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधि में कैसे पहचाना जाये। इसके लिए डी.डी.–12 के कुछ प्रमुख तत्व हैं, पदार्थीकरण की भावना, महिलाओं की नापसन्दगी, सौन्दर्य व्यवहार इत्यादि। इस अध्ययन में लेखकों ने एक हथियार स्वरूप कुछ प्रमुख बिन्दुओं को पहचाना जैसे, सहानुभूति, सूक्ष्म आक्रमण की समझ, कैम्पस वातावरण अवलोकन में डी.डी.–12 सहायक है।
- क्वीनी (2016) अन्तरानुभागीय दृष्टिकोण के साथ घरेलू हिंसा प्रशिक्षण के बारे में व्याख्या की। ये एक ऐसे प्रारूप के निर्माण पर ध्यान करती हें जो एक ही समय के, कठोरता तथा लाभ या फायदा को समाहित करता है। इन्होंने साहस, जागरूकता, चेतना तथा समझ जैसी रणनीतियाँ प्रदान की तथा यह इन विभिन्न रणनीतियों की महत्वता को बतलाते हुए समझाया कि यह सब क्रियाविधि छात्राओं की सशक्ति हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मूलयांकन स्वरूप छात्राओं ने दोषसिद्धि तथा सामाजिक न्याय सम्बंधी ज्ञान प्राप्त किया।
- थॉमस (2016) ने अपनी पुस्तक 'वूमन और सेक्सुअल वाइलैन्स, पारस टू हीलिंग : रेसिस्टान्स, रेबिलिअन, रेसिलिएन्स एण्ड निकवरी' में किसी भी प्रकार की यौन हिंसा से प्रताड़ित महिलाओं की बचाव प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। अध्ययन में छः यौन हिंसा प्रताड़ित प्रतिभागियों को लिया गया है। सभी सदस्यों की आयु 18–65 है। इसमें निर्वचनात्मक दृश्य पंचशास्त्र विश्लेषण के साथ गुणात्मक शोध प्रारूप का प्रयोग किया। इसमें यौन हिंसा के कुछेक प्रभावों को बताया जैसे, भय, विषाद, निराशा, न्यूनता तथा नकारात्मक मानसिकता आदि। इन सभी नकारात्मकताओं का सामना करते हुए यह अध्ययन सकारात्मक शक्ति, आत्म सम्मान उपलब्ध कराता है जिससे खतरनाक वातावरण से लड़ा जा सके।

- प्रभा (2017) इस मध्ययन द्वारा भारतीय जोखिम पीड़ित महिलाओं की व्याख्या करती है। इन्होंने बतलाया कि मात्र 21 वर्षीय महिलाओं को 125 प्रतिशत जोखिम रहता है। प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के इंजीनियरिंग संकाय के अविनाशी लिंगम विश्वविद्यालय सम्बंधी 40 शिक्षार्थियों ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण में अपनी रूचि दर्शायी। इन्होंने बेतरतीब नमूना प्रणाली तथा प्रयोगात्मक अध्ययन द्वारा मस्तिष्क, लड़ाई तथा उड़ान जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों के परिस्थितिनुसार उपयोग पर जोर दिया साथ ही 'सिलाम्बन' (दक्षिण भारत) तथा 'ताईक्वाण्डो' (कोरिया) जैसे कार्यक्रमों की उपयोगिता को भी समझाया। जाँच परिणाम के रू॰ में 30–90 प्रतिशत महिलाओं में आत्मविश्वास तथा स्वयं रक्षा हेतु एक उचित मार्ग की प्राप्ति की। फिर भी महिलाओं को हिंसा सम्बंधी मुद्दों की बराबर जानकारी रखनी चाहिए, अखबार, इन्टरनेट तथा मैगजीन्स के माध्यम से।
- स्टैलर तथा अन्य (2017) ने मार्शल आर्ट्स समिति तथा विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित विभिन्न आत्मरक्षा प्रशिक्षणों की व्याख्या की।इस अध्ययन में घटना–क्रिया संरचना के साथ गुणात्मक पद्धति आत्मरक्षा, चोट तथा सम्पर्क की समझ विकसित करना है। 'क्रैव मागा' क्रियाविधि हमलावर तथा रक्षा करने वाले के मध्य की बातचीत तथा वे जिस प्रकार परस्पर दर्द पहुँचाते हैं इसे भी शामिल करता है। खोज स्वरूप यह स्पष्ट है कि हमारी भौतिक क्रियाविधियों सम्बंधी उत्तरदायित्व समझने में आत्म रक्षा सम्बंधी विशेषज्ञों का प्रदर्शन महत्वपूर्ण है।
- बाटी तथा अन्य (2017) अध्ययन में एक कार्यक्रम के निर्माण पर बल दिया जिसका नाम 'आँकलन, अभिस्वीकृति, कार्यवाही कार्यक्रम' है जोकि प्रथम वर्षीय विश्वविद्यालय सम्बंधी महिलाओं को ध्यान में रखकर विकसित किया गया जिसमें पूर्व शोधों की सीमाओं को परखा गया। यह पूर्व नारीवादी तथा सामाजिक मानसिक नारीवादी सिद्धान्तों को आधार बनाता है। 370 सहभागियों को 24 घण्टे के इस विश्लेषण में शामिल किया गया जिसमें 185 नियंत्रित समूह सम्बंधी तथा अन्य 135 इस कार्यक्रम से हैं। इस कार्यक्रम का प्रभाव

दूरगामी देखा गया जिससे महिलाओं में चेतना, दृष्टिकोण तथा कौशल सम्बंधी योग्यताओं का विकास उचित रूप में सम्भव देखा जा रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य–

1. छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक पृ ठभूमि का अध्ययन।
2. छात्राओं के प्रति हिंसा की प्रकृति का अध्ययन।
3. छात्राओं के प्रति हिंसा के कारणों का अध्ययन।
4. छात्राओं में स्वंय रक्षा प्रशिक्षण की भूमिका के माध्यम से जागरूकता का अध्ययन।
5. सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों की हिंसा के प्रति भूमिका का अध्ययन।

परिकल्पना–

1. छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक पृ ठभूमि में विविधता पाई जाती है।
2. छात्राओं के प्रति हिंसा की प्रकृति समय तथा स्थान सापेक्ष होती है।
3. पुरू ा प्रधान समाज की विचारधारा हिंसा के प्रति उत्तरदायी है।
4. छात्राओं के प्रति हिंसा में स्वयं रक्षा बचाव हेतु प्रशिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है।
5. सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों की हिंसा के प्रति भूमिका समय–समय पर महत्वपूर्ण होती है।

शोध विधि

शोध प्ररचना–

प्रस्तुत अध्ययन की शोध प्ररचना व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक होगी, जिसके अन्तर्गत चयनित विषय की विशेषताओं का विस्तारपूर्वक वर्णन किया जायेगा।

अध्ययन क्षेत्र–

प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थिनी द्वारा शोध कार्य आगरा नगर की विद्यालय की छात्राओं पर किया जायेगा।

अध्ययन की इकाई–

शोधार्थिनी द्वारा आगरा नगर में निवास करने वाली तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली छात्राओं का अध्ययन इकाई के रूप में किया जाएगा।

निदर्शन विधि–

प्रस्तुत शोध कार्य में शोधकर्त्री द्वारा सुविधाजनक विधि का प्रयोग किया जाएगा।

TABLE-1 COLLEGE / SCHOOL

S.No.	College /School	Total Girls	80% of Total Population
1.	M.P.S. World School	60	48
2.	City Convent School	45	36
3.	Airforce Kendriya Vidhayalay	12	10
4.	St. John's Church Compound	11	9
5.	St.Andrew's School	12	10
6.	G.D. Goenka School	45	36
7.	Agra Glory Public Inter College	40	32
8.	Agra Modern School	34	26
9.	Agra Public School	50	40
10.	All Saints School	60	48

11.	Angels Public School	38	30
		407	326

Source : Schools/Colleges, Agra City, Dt. 11.03.2019

प्रस्तुत शोध अध्ययन विधि में जानकारी प्राप्त करने हेतु निदर्शन के रूप में इण्टर कॉलेज के 11 विद्यालयों में से 326छात्राओं का चयन किया जायेगा।

अध्ययन संयन्त्र–

प्रस्तुत अध्ययन से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने हेतु अध्ययन संयन्त्र के रूप में अर्द्ध सहभागी अवलोकन, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, साक्षात्कार, अनुसूचि विधि का प्रयोग किया जाएगा जिसमें खुले एवं बन्द दोनों प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जायेगा।

पूर्वगामी अध्ययन–

अध्ययन संयन्त्र सम्बंधी उपयोगिता, प्रभावशीलता तथा उपयुक्तता की जाँच–परख के लिए आवश्यकतानुसार साक्षात्कार, अनुसूची के माध्यम से पूर्वगामी अध्ययन किया जायेगा।

तथ्यों का संकलन–

पूर्वगामी अध्ययन के पश्चात् अध्ययन संयन्त्र में आवश्यकतानुसार संशोधन कर छात्राओं से वृहद स्तर पर तथ्यों को संकलित किया जायेगा। तथ्यों के संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया जायेगा। प्राथमिक स्त्रोत के अन्तर्गत साक्षात्कार, अनुसूची एवं असहभागी अवलोकन के माध्यम से तथ्यों को संकलित किया जायेगा तथा द्वितीयक स्त्रोतों के अन्तर्गत पुस्तकों, मैगजीनों, इण्टरनेट सामग्री, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से विषय से सम्बन्धित तथ्यों को संकलित किया जायेगा।

तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण–

तथ्यों के संकलन के पश्चात् तथ्यों की जाँच की जायेगी। जिसमें से महत्वपूर्ण पक्षों एवं तथ्यों से सम्बन्धित जानकारी को उनकी प्रकृति के अनुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सारणीयों में प्रदर्शित कर उनका विश्लेषण किया जायेगा। तथ्यों के विश्लेषण में मूल्यांकन,

परीक्षण, सहसम्बन्ध एवं प्रतिशत आदि सांख्यिकी विधि का प्रयोग सुविधानुसार किये जाने की सम्भावना होगी।

तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन–

तथ्यों को आवश्यकतानुसार प्रभावी एवं आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने के लिये उनको बार डायग्राम, पाईचार्ट आदि में भी दर्शाया जायेगा।

निष्कर्ष एवं सारांश–

प्रस्तुत अध्ययन से सम्बन्धित निष्कर्ष एवं सारांश को भी लिखा जायेगा।

प्रस्तावित अध्ययन

प्रथम अध्याय :–

- प्रस्तावना
- समस्या कथन
- अध्ययन का महत्व
- साहित्य का पुर्नावलोकन
- उद्देश्य
- परिकल्पना
- शोध प्ररचना
- अध्ययन क्षेत्र
- अध्ययन की ईकाई
- निदर्शन विधि
- अध्ययन संयन्त्र
- पूर्वगामी अध्ययन
- तथ्यों का संकलन
- तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण
- आँकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन
- निष्कर्ष एवं सारांश

द्वितीय अध्याय :–

- छात्राओं की सामजिक–आर्थिक पृ ठभूमि का अध्ययन।

तृतीय अध्याय :–

- हिंसा की प्रकृति का अध्ययन।

चतुर्थ अध्याय :–

- छात्राओं के प्रति हिंसा के कारणों का अध्ययन।

पंचम अध्याय :–

- छात्राओं में प्रशिक्षण एवं जागरूकता का अध्ययन।

षष्ठ अध्याय :–

- छात्राओं की सुरक्षा हेतु सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठन का अध्ययन।

सप्तम अध्याय :–

- निष्कर्ष व सुझाव
- संदर्भ ग्रन्थ सूचि
- क्षेत्रीय अनुभव
- साक्षात्कार, अनुसूचि

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Alatas, Sayed Husain, (1972), "Modernization and Social Charge", Angus and Roberston, Cremorne.
2. Cooley, C.H., (2002), "Social Conciousns", American Journal of Sociology cited.
3. Dube, S.C., (1988), "Modernization and Development", Vistaar Publication.
4. Jha, Kaalinath, (2005), "Modernizing, Women searching their identities", Rawat Publication.
5. Mark, K. and Engles F., (1845-46), "The German Ideology", Promethus's Books.
6. Kreitler, S. and O. Maimon, (2012),k "Consicousness : Its nater and Functions", Nova Pubolishers, pp. 89-105.
7. Singh, Yogendra, (2005), "Essays on Modernization in India", Manohar Book Service.
8. Weiner, Myron, (1967), "Modernization : The Dynamics of growth", Higginbothoms.
9. Srinivas, M.N., (1977), "Social change in Modern India", Orient Longman.
10. Kessel, Frank S., Cole, Pamela M. Johnson, Dale L., (1992), "Self and Consciousness : Muiltiple Perpective", Hillsdale, Nj.
11. Mohini Giri, V., (1998), "Emancipation and Empowernment of Women", Cryan Publising House.
12. Srivastava, Sushma, (2008), "Women and Crime", Common wealth publishers.
13. Nigam, S., "Rights of Women", Legal News and Views.
14. Xaxa Johani, (2008), "Women and Domestic Violence in India", Third Concept.
15. Ahuja, R., (1987), "Crime against women", Rawat Publication, Jaipur.
16. Makwana H. Rameshri, (2009), "Domestic violence in India", Third Concept.
17. Umar Mohd., (1998), "Violence against women and Human Rights", Legal news and view.
18. Nikare, A., (2007), "Position of women depressed, oppressed and obandoned women in India today", Legal news and views.

19. परमार, शुभ्रा, (2015)"नारीवादी सिद्धान्त और व्यवहार", ओरियंट ब्लैक स्वॉन प्राइवेट लिमिटेड

20. शर्मा, रमा तथा मिश्रा, एम. के., (2016),"महिलाओं के कानूनी, धार्मिक एवं सामाजिक अधिकार", अर्जुन पब्लिशिंग हाउस

21. निशांत सिंह, मीनाक्षी, (2000)"आधुनिकता और महिला उत्पीड़न", आमेगा पब्लिकेशन

22. भाटिया, सुदर्शन, (2007)"नारी एवं अधिकार", बैटर बुन्स

23. चौधरी, मैत्रेयी, (2002)"भारतीय समाज में स्त्री", समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक।